रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

REGISTERED No. D.L.-33002/99

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181] दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 9, 2011/कार्तिक 18, 1933 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 193
No. 181] DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 9, 2011/KARTIKA 18, 1933 [N.C.T.D. No. 193

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान

(राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एक राज्य विश्वविद्यालय)

अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2011

सं. फा. आईआईआईटीडी/नए परिनियम/56/2011/1505.—इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इ.प्र.सू.प्रौ.सं.) दिल्ली अधिनियम 2007 (2008 का दिल्ली अधिनियम 5) की धारा 22 के साथ पठित धारा 23 की उप-धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के व्यवस्थापक मण्डल (बोर्ड ऑफ गवर्नर) कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित परिनियम 24 से 32 बनाते हैं ।

संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—इन परिनियमों को इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (इ.प्र.सू.प्रौ.सं.)-दिल्ली कहा जा सकेगा । यह सरकारी राजपत्र में अपनी प्रकाशन तिथि से प्रभावी होंगे ।

परिभाषाएं.—इस परिनियम में प्रयुक्त शब्दों तथा अभिव्यक्तियों का, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक अधिनियम एवं प्रथम परिनियम में उन्हें सौंपे गए अर्थ होंगे ।

पद 'मण्डल' का अर्थ संस्थान के व्यवस्थापक मण्डल से है और पद 'सभापति' का अर्थ व्यवस्थापक मण्डल के सभापति से है ।

24. अध्यापकों एवं अकादमिक स्टाफ के लिये पदों का सृजन.—1. व्यवस्थापक मण्डल संस्थान के लिये 'अध्यापकों और अकादमिक स्टाफ' से सम्बन्धित उतने पदों का सृजन कर सकता है जितने समय-समय पर यथावश्यक हों । इस प्रकार सृजित कुल पद संस्थान का संख्या बल होगा ।

2. खण्ड (1) में उल्लिखित पदों की कुल संख्या तब तक परिवर्तित नहीं हो सकती है, जब तक मण्डल द्वारा अतिरिक्त पद सृजित नहीं किए जाते हैं ।

3. अध्यापकों और अकादमिक स्टाफ की मेरिट और कार्यप्रदर्शन के आधार पर उच्च रैंकों में जाने के लिये स्वीकृत संख्या बल के भीतर लचीलापन होगा ।

4. मण्डल, खण्ड 1 में उल्लिखित पदों के अतिरिक्त सीमित अवधि की संविदा नियुक्तियों के कुछेक पद भी सृजित कर सकता है ।

5. 'अध्यापकों तथा अकादमिक स्टाफ' के चयन तथा नियुक्ति की पद्धति, उनकी वेतन संरचना, परिलब्धियां उनकी सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेश में यथानिर्धारित होंगी ।

25. पदों का सृजन एवं संस्थान के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति की पद्धति.—1. व्यवस्थापक मण्डल संस्थान के 'अन्य अधिकारियों' के उतने पद सृजित कर सकता है जितने समय-समय पर यथावश्यक हों ।

2. मण्डल, उक्त उल्लिखित पदों के अतिरिक्त यथावश्यक सीमित अवधि की संविदा नियुक्तियों के कुछेक पद भी सृजित कर सकता है ।

3. अन्य स्टाफ के चयन तथा नियुक्ति की पद्धति, उनकी वेतन संरचना, परिलब्धियां उनकी सेवा की अन्य शर्तें अध्यादेश में यथानिर्धारित होंगी ।

26. निदेशक का चयन.—1. वर्तमान निदेशक के कार्यकाल के समापन से कम से कम छः माह पूर्व, यदि वह योग्य है और केवल एक ही कार्यकाल सेवा की है, तो मण्डल वर्तमान निदेशक के बने रहने के मामले की चर्चा करेंगे । वह अन्य विशेषज्ञों के विचार ले सकता है ।

वह संस्थान के संकाय सदस्यों, विद्यार्थियों और अन्य इच्छुक लाभग्रहियों के साथ सम्पर्क/बातचीत कर सकता है और मत जानने हेतु संस्थान के उपयुक्त प्रतिवेदन की जांच कर सकता है ।

2. यदि मण्डल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह संस्थान के सर्वोत्तम हित में होगा, यदि वर्तमान निदेशक किसी अन्य कार्यकाल के लिए बना रहता है, तो वह वर्तमान निदेशक को पांच वर्ष के अन्य कार्यकाल के लिये नियुक्त कर सकता है ।

3. यदि मण्डल अनुभव करता है कि किसी खुले चयन को प्राथमिकता दी जानी है, तो वर्तमान निदेशक के कार्यकाल के समापन की तिथि से कम से कम तीन माह पूर्व कम से कम चार प्रतिष्ठित शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों/प्रशासकों की खोज एवं चयन समिति गठित की जा सकेगी ।

4. एक विज्ञापन दिया जा सकता है, लेकिन नामांकन-पत्र भी सक्रियता से मांगे जाने चाहिए । यदि वर्तमान निदेशक योग्य एवं उपलब्ध है, तो वह चयन प्रक्रिया के लिए भी नामांकित किया जा सकता है ।

5. खोज एवं चयन समिति संस्तुतियों के निर्णय करने के लिये अपनी प्रक्रिया का अनुसरण कर सकती है और मण्डल को अन्ततः तीन से अधिक नामों तक की संस्तुति नहीं कर सकती है या प्राथमिकता के क्रम में हो या प्राथमिकता के क्रम के बिना हो, जैसा मण्डल द्वारा वांछित हो । खोज एवं चयन समिति उन प्रत्याशियों पर भी विचार कर सकता है भले ही उन्होंने आवेदन न किया हो ।

6. मण्डल, सूची पर विचार-विमर्श करेगा और जिस क्रम में प्रत्याशी प्रस्ताव करने हेतु सम्पर्क करते हैं उसी क्रम को अन्तिम रूप दिया जाएगा ।

7. सभापति या उसके द्वारा नियुक्त नामांकित व्यक्ति, उनकी उपलब्धता तथा नियुक्ति की शर्तों के सम्बन्ध में संस्तुत प्रत्याशियों के साथ चर्चा प्रारम्भ करेगा ।

8. बातचीत करने के उपरांत, सभापति उपलब्ध प्रत्याशी तथा स्वीकार्य शर्तों के सम्बन्ध में मण्डल को सूचित करेगा ।

9. सभापति, मण्डल से औपचारिक अनुमोदन मिलने के उपरान्त, चयनित निदेशक के लिये नियुक्ति पत्र जारी करेगा ।

10. किसी नए निदेशक की नियुक्ति होने पर या वर्तमान निदेशक की पुनर्नियुक्ति होने पर संस्थान के कुल सचिव द्वारा उपयुक्त अधिसूचना जारी की जाएगी ।

27. केन्द्र विभागों अकादमिक कार्यक्रमों आदि की स्थापना.—1. संस्थान नये अकादमिक कार्यक्रम, केन्द्र विभाग, विद्यापीठ इत्यादि प्रारम्भ/स्थापित कर सकता है और वर्तमान कार्यक्रमों केन्द्रों या विभागों को बन्द भी कर सकता है ।

2. किसी कार्यक्रम, विभाग, विद्यापीठ इत्यादि को शुरू करने/बन्द करने के लिये एक लिखित प्रस्ताव बनाए जाने की आवश्यकता है ।

3. सीनेट प्रस्ताव का मूल्यांकन करके व्यवस्थापक मण्डल को उपयुक्त संस्तुतियां करेगी ।

4. सीनेट की संस्तुतियों पर व्यवस्थापक मण्डल द्वारा विचार किया जाएगा और जो विषय पर अन्तिम मत प्रकट करेगा ।

5. प्रत्येक अनुमोदित कार्यक्रम का पाठयक्रम और इसको संचालित करने वाले अन्य विनियम सीनेट द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे ।

28. चेयर्स, शिक्षावृत्तियों की स्थापना.—1. दान, अनुदान आदि के माध्यम से संस्थान में चेयर्स, शिक्षावृत्तियाँ, पुरस्कार और इस प्रकार के सम्मान संकाय के लिये स्थपित किए जा सकते हैं । संस्थान ऐसी चेयर्स, शिक्षावृत्ति, पुरस्कार और इसी प्रकार के सम्मान के लिये अपने संस्थानों में मैचिंग अनुदान उपलब्ध कर सकता है ।

2. इस प्रकार की चेयर्स, शिक्षावृत्ति, सम्मान इत्यादि की निधियां, नामकरण सम्बन्धी मार्गनिदेश मण्डल द्वारा निर्णित किए जाएंगे और समय-समय पर संशोधित किए जा सकेंगे ।

3. इन चेयर्स, शिक्षावृत्तियों, सम्मानों तथा इस प्रकार के सम्मान आदि संचालित करने की शर्तें अनुमोदित मार्गनिदेशों के अनुसार होंगी या उन्हें स्थापित करते समय मण्डल द्वारा यथाअनुमोदित होंगी ।

4. किसी चेयर, शिक्षावृत्ति आदि का भोग/प्राप्तकर्ता को चेयर/शिक्षावृत्ति/पुरस्कार और इस प्रकार के सम्मान से अतिरिक्त व्यक्तिगत प्रतिपूर्ति की जा सकेगी ।

29. पदकों और पुरस्कारों और अन्य प्रोत्साहनों का प्रारम्भन.—1. इन्द्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली संस्थान में विद्यार्थियों के उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन को सम्मान देने के लिये अनेक प्रकार के पदक, पुरस्कार, भेंट और प्रमाण-पत्र आरम्भ कर सकता है ।

2. पदकों/पुरस्कारों आदि का स्वरूप/मूल्य और उनकी पात्रता शर्तें सीनेट की संस्तुतियों पर आधारित मण्डल द्वारा निर्णित किए जाएंगे ।

3. पदकों/पुरस्कारों आदि के नामकरण हेतु मार्गनिदेश मण्डल द्वारा निर्णित किए जाएंगे ।

4. इन पदकों/पुरस्कारों आदि के चयन की पद्धति एवं प्रक्रिया मण्डल द्वारा अनुमोदित मार्गनिदेशों के अनुसार होगी ।

5. सीनेट विभिन्न पदकों/पुरस्कारों इत्यादि के विजेताओं की सूची अनुमोदित करेगी ।

30. छात्रवृत्तियों, सहयोगवृत्तियों, परिसर कार्यों का सृजन.—1. मण्डल स्नातकोत्तर तथा/अथवा अण्डरग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिये शिक्षावृत्ति, सहयोगवृत्ति, छात्रवृत्ति का सृजन कर सकता है । ऐसे पदों की संख्या और उनकी परिलब्धियां, समय-समय पर मण्डल द्वारा यथानिर्णित होंगी ।

31. पेंशन या भविष्य निधि का गठन.—1. संस्थान अपने सभी कर्मचारियों के लिये भारत सरकार की नयी पेंशन योजना अपनाएगा ।

32. वित्त समिति का गठन.—1. अधिनियम के खण्ड 20 (ग) के अनुसार अधिनियम के खण्ड 20 में विनिर्दिष्ट सदस्यों की संख्या के अतिरिक्त वित्त समिति के निम्न सदस्य है :

2. मण्डल, या तो मण्डल सदस्यों में से या बाहर से एक वर्ष की अवधि के लिये तीन से अधिक नहीं, विशेषज्ञ नामांकित कर सकता है।

मनजीतराय अरोड़ा, अतिरिक्त सचिव
(प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा)

INDRAPRASTHA INSTITUTE OF INFORMATION TECHNOLOGY

(A State University Established by Government of NCT of Delhi)

NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2011

F. No. IIITD/New Statutes/56/2011/1505.—In exercise of the powers conferred by sub-section 2 of Section 23 read with 22 of the IIIT (Indraprashta Institute of Information Technology) Delhi Act, 2007 (Delhi Act, 5 of 2008), the Board of Governors of the IIIT Delhi, with the prior approval of the chancellor, hereby, makes the following Statute from 24-32.

Short title and Commencement.—These Statute may be called the IIIT (Indraprashta Institute of Information and Technology) Delhi. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

Definitions.—Words and expressions used in this statute shall have the meaning assigned to them in the Act and the First Statutes, unless the context otherwise requires.

The term "The Board" means the Board of Governors of the Institute, and the term "Chairman" means the Chairnan of the Board of Governors.

24. Creation of posts for Teachers and Academic Staff.—1. The Board of Governors may create such number of positions relating to "Teachers and Academic Staff" for the Institute as may be deemed necessary from time to time. The total positions thus created will be the sanctioned strength of the Institute.

2. Total number of positions as referred to in clause (1) may not change unless additional positions are created by the Board.

3. Within the sanctioned strength there will be flexibility for the Teachers and Academic Staff to move higher in ranks based on their merit and performance.

4. The Board may also create, in addition to the posts mentioned in clause 1, certain number of posts for limited term contract appointments.

5. The manner of selection and appointment of the "Teachers and Academic Staff", their salary structure, emoluments, and other terms and conditions of their service, shall be such as may be prescribed in the Ordinances.

25. Creation of posts and manner of appointment for the other officers of the Institute.—1. The Board of Governors may create such number of posts of "other officers" for the institute as may be deemed necessary from time to time.

2. The Board may also create, in addition to the posts mentioned above, certain number of posts for limited term contract appointments as may be deemed necessary.

3. The manner of selection of other officers, their salary structure, emoluments and other conditions of their service shall be such as may be prescribed in the Ordinance.

26. Selection of the Director.—1. At least six months before the end of the tenure of the existing Director, if he/she is eligible and has served only one term, the Board will discuss the issue of continuation of the current Director. It may seek views of other experts, may interact with the faculty members, students, and other stake holders of the Institute, and may exmine suitable reports of the Institute to take a view.

2. If the Board comes to the conclusion that it will be in the best interest of the Institute if the existing Director continues for another term, it may appoint the existing Director for another term of 5 years.

3. If the Board feels that an open selection is preferable, a search-cum-selection committee of at least four distinguised academicians/scientists/administrators may be constituted by the Board, at least three months prior to the date of termination of the existing Director's tenure.

4. An advertisement may be placed, but nominations should also be solicited actively. The current Director, if eligible and available, may also be nominated for the selection process.

5. The search-cum-selection committee may follow its own process for deciding the recommendations, and may finally recommend no more than three names to the Board either in order of preference, or without order, as desired by the Board. The search-cum-selection committee may also consider canditates even if they have not applied.

6. The Board will deliberate upon the list and finalizes the order in which the candidates are to be approached for offer.

7. The Chairman, or his appointed nominees, will start discussions with the recommended candidates about their availbility and terms of appointment.

8. After interaction, the Chairman will inform the Board about the candidate available and the terms agreed.

9. The Chairman will issue the letter of appointment to the selected Director after formal approval by the Board.

10. On appointment of a new Director, or re-appointment of the existing Director, suitable notifications will be made by the Registrar of the Institute.

27. Establishment of centers, departments, academic programs, etc..—1. The Institute may start new academic programs, centers, departments, schools, etc. and may also discontinue existing programs, centers, or departments.

2. A written proposal need to be made for starting/ discontinuing a program, center, department, school, etc.

3. The Senate will evaluate the proposal and make suitable recommendations to the Board of Governors.

4. The recommendations of the Senate shall be considered by the Board of Governors, which will take the final view in the matter.

5. The curriculum of each approved program, and other regulations for operating it, shall be approved by the Senate.

28. Establishment of chairs, fellowships etc.—1. Chairs, fellowships, awards, and like honours for faculty may be established in the Institute through donations, grants, etc. The institute may provide matching grants from its resources for such Chairs, fellowships, awards and like honours.

2. Guidelines for funds and naming of such Chairs, fellowships, awards etc. will be decided by the Board and may be revised from the Senate.

3. The terms for operating these chairs, fellowships, awards, and like honours etc. will be as per approved guidelines, or as may be specified by the Board while establishing them.

4. The occupant/recipient of a Chair, fellowship etc. may be provided with extra personal compensation from the Chair/fellowship/award and like honours.

29. Institutions of medals and prizes and other incentives.—1. IIIT-Delhi may institute various medals, prizes, awards and certificates to recognize outstanding performance of the students in the institute.

2. The nature/value of the medals/prizes/etc. and their eligibility conditions will be decided by the Board based on recommendations from the Senate.

3. Guidelines for naming the medals/prizes etc. will be decided by the Board.

4. The methods and procedure of selection for these medals/prizes/etc. shall be as per guidelnes approved by the Board.

5. The Senate will approve the list of awardees for the various medals/prizes/etc.

30. Creation Scholarships, assistantships, campus jobs.—1. The Board may create fellowships, assistantships, scholarships, etc for Post Graduate and/or Undergraduate students. The number of such positions, and their emoluments, shall be such as decided by the Board from time to time.

31. Constitution of Pension or the provident fund.—1. The Institute shall adopt the New Pension Scheme of the Government of India for all its employees.

32. Constitution of Finance Committee.—1. In addition to the members specified in clause 20 of the Act, as per clause 20(c) of the Act, other members of Finance Committee are as follows :

2. The Board may nominate experts, not exceeding three in number, either from the members of the Board or from the outside, for a perios of one year.

MANJIT RAI ARORA, Addl. Secy. (TTE)

माप तोल विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 9 नवम्बर, 2011

सं. फा. 7(7)/डब्ल्यू एंड एम./प्रशासन/2011/1650—60.—विधिक माप अधिनियम, 2009 (2010 का 1) की धारा 14 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 2(क्यू) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रीय क्षेत्र दिल्ली हेतु उक्त अधिनियम के उद्देश्यों के लिये श्री ज्ञान चन्द को विधिक माप पद्धति अधिकारी (ग्रेड-2) नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल
के आदेश तथा उनके नाम पर,

वी. के. जैन, नियंत्रक (विधिक माप पद्धति)

DEPARTMENT OF WEIGHTS AND MEASURES

NOTIFICATION

Delhi, the 9th November, 2011

F. No. 7(7)/W&M/Admn./2011/1650-60.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 14 of the Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010) and read with Section 2(q) of the said Act, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby appoints Sh. Gian Chand as Legal Metrology Officer (Gr-II) for the purpose of the said Act, for the National Capital Territory of Delhi.

By Order and in the Name of the Lieutenant Governor of National Capital of Territory of Delhi,

V. K. JAIN, Controller (W & M)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.